

पांचवीं अनुसूची
(धारा 124 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

- (1) अध्याय 24 में,—
- (i) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “133 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 5
- (ii) टैरिफ मद 2402 20 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “441 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iii) टैरिफ मद 2402 20 30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “659 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iv) टैरिफ मद 2402 20 40 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1,068 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (v) टैरिफ मद 2402 20 50 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1,424 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (vi) टैरिफ मद 2402 20 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1,748 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 10
- (vii) टैरिफ मद 2402 90 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1,058 रु0 प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (2) अध्याय 25 में, उपशीर्ष 2523 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “600 रु0 प्रति टन” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (3) अध्याय 54 में,—
- (i) टैरिफ मद 5407 10 15, 5407 10 25, 5407 10 35, 5407 10 45 और 5407 10 95 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “12%” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 15
- (ii) उपशीर्ष 5407 20 और 5407 30 की सभी मदों के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “12%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iii) टैरिफ मद 5407 41 19, 5407 41 29, 5407 42 90, 5407 43 00, 5407 44 90, 5407 71 10, 5407 71 20, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 19, 5407 81 29, 5407 82 90, 5407 83 00, 5407 84 90, 5407 91 10, 5407 91 20, 5407 92 00, 5407 93 00 और 5407 94 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “12%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (4) अध्याय 56 में, टैरिफ मद 5607 50 10, 5608 11 10 और 5608 11 90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “12%” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 20
- (5) अध्याय 85 में, शीर्ष 8528 की सभी मदों के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (6) अध्याय 88 में,—
- (i) टैरिफ मद 8802 11 00, 8802 12 00, 8802 20 00, 8802 30 00 और 8802 40 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 25
- (ii) टैरिफ मद 8803 10 00, 8803 20 00, 8803 30 00 और 8803 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी।